



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण 1947 (श10)

(सं० पटना 1739) पटना, बृहस्पतिवार, 27 नवम्बर 2025

सं० 5/स0 बियाडा (ग्लोबल वर्क प्लेस)/शीर्ष समिति-23/25—5250
उद्योग विभाग

संकल्प

26 नवम्बर 2025

विषय:— बिहार को न्यू एज इकोनॉमी अंतर्गत एक 'वैश्विक-बैंक एंड-हब' एवं 'ग्लोबल वर्क प्लेस' के रूप में अगले पाँच वर्षों में स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य योजना के निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण करने के लिये शीर्ष समिति के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार सरकार राज्य के गुणात्मक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये कृत संकल्पित है। बदलते बिहार के विकास की गति को बल देने हेतु आवश्यक है कि पारंपरिक विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था से आगे जाकर बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू एज इकोनॉमी (New Age Economy) का निर्माण किया जाय। इसके लिये राज्य सरकार के द्वारा पांच वर्षों का लक्ष्य रखा गया है।

2. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये बिहार को एक 'वैश्विक-बैंक एंड-हब' एवं 'ग्लोबल वर्कप्लेस' के रूप में विकसित एवं स्थापित किया जाना अपेक्षित है। इसके लिये आवश्यक है कि महत्वपूर्ण विभागों तथा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्रियों/विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत कार्य योजना का निर्माण किया जाय तथा उसके कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण किया जाय।

3. कार्य योजना का निर्माण कराने तथा उसके कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण कराने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति का गठन अपेक्षित है, जिसमें उद्योग विभाग, वित्त विभाग एवं कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सदस्य होंगे तथा उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सदस्य सचिव होंगे।

4. कार्य योजना के निर्माण हेतु शीर्ष समिति द्वारा एक कार्य योजना समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री/विशेषज्ञ तथा उपरोक्त वर्णित विभागों द्वारा नामित पदाधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून) सदस्य होंगे। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री/विशेषज्ञ का चयन शीर्ष समिति के द्वारा किया जायेगा। शीर्ष समिति के द्वारा दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री/विशेषज्ञ में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नामित किया जायेगा।

5. कार्य योजना समिति का कार्य काल छः माह का होगा। समिति के द्वारा तीन माह के अन्तर्गत विस्तृत कार्य योजना शीर्ष समिति के समक्ष समर्पित किया जायेगा तथा इस कार्य योजना के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिये समिति अगले तीन माह कार्य करेगी। समिति की स्थापना उद्योग विभाग के अन्तर्गत होगी तथा उपर्युक्त दोनों चयनित अर्थशास्त्री/विशेषज्ञ के मानदेय एवं अन्य भत्ते का निर्धारण एवं भुगतान उद्योग विभाग द्वारा किया जायेगा।

6. उपरोक्त कंडिकाओ में निहित प्रावधानों के तहत बिहार को न्यू ऐज इकोनॉमी अन्तर्गत एक 'वैश्विक-बैंक एंड-हब' एवं 'ग्लोबल वर्कप्लेस' के रूप में अगले पाँच वर्षों में स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य योजना के निर्माण तथा उस के कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण करने के लिये शीर्ष समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. उक्त पर दिनांक-25.11.2025 की मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधितों को प्रेषित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1739-571+10-डी0टी0पी0
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>